2024/98

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
35/24	212 RTA	छबड़ा, टोडी	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
दीपक	बनाम	ओमप्रकाश

वकील – श्री [illegible]	आदेश पत्रक	वकील – श्री

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
03.06.2024	अभिभावक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम छबड़ा तहसील छबड़ा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 104/1 रकबा 1.0117 है0 ग्राम टोडी आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 0.4806 है0 खसरा नम्बर 16 रकबा 0.3541 है0 खसरा नम्बर 17 रकबा 0.5311 है0 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.2403 है0 खसरा नम्बर 3 रकबा 0.2782 है0 खसरा नम्बर 6 रकबा 0.4553 है0 भूमि में हिस्सा 1/2 श्री शंकरलाल पुत्र धांसीलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही श्री शंकरलाल को उक्त भूमियात रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.12.1985 से प्राप्त हुई थी प्रार्थी के पिता व माता प्रार्थी के पास निवास करते है तथा उनकी छोटे-बड़े बीमारी। इलाज आदि प्रार्थी कर रहा है प्रार्थी की सेवा से प्रसन्न होकर प्रार्थी के पिता शंकरलाल द्वारा दिनांक 14.02.2020 को प्रार्थी के पक्ष में उक्त विवादित भूमि की समस्त मयहक एक वसीयत निष्पादित की थी। प्रार्थी के पिता शंकरलाल का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी क्रम 1 पिछले कुछ समय से विवादित भूमि को लेकर परिवार में लड़ाई-झगड़ा कर रहा है प्रार्थी को हानि पहुंचाने की गरज से इन्तकाल नम्बर 2135 व इन्तकाल नम्बर 622 खुलवा लिया है जिससे वह उक्त भूमि को विक्रय कर सकें। इसलिए दावा घोषणा खातेदारी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से भूमि का किसी प्रकार का दुरूपयोग खुर्द बुर्द बेचान नही करे इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया सुसंगत विधि का अध्ययन किया पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से यह जाहिर होता है उक्त भूमि का प्रार्थी के पक्ष में वसीयत किया जा चुका है प्रार्थी के प्राथमिक दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा दोनो पक्षो के मध्य विवाद विद्यमान है प्रकरण की इस परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य आवश्यक विवाद न हो गुणवगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादित भूमि को आज दिनांक की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.07.2024 को पेश है। [signature] उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
8.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी क्रम-1 की ओर से श्री [illegible] गोस्वामी एडवोकेट का वकालतनामा पेश एवं जवाब पेश किया, जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। [illegible] किया गया। अप्रार्थी क्रम 2 ता 5 की ओर से श्री अनूप श्रीवास्तव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते जवाब 2 ता 5 दिनांक 28.8.24 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
23.7.25	पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा फरीकेन उप. अप्रार्थी गण सं. की ओर से जवाब पेश हुआ। नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गयी। बहस अभिभाषक अथवा पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30.7.25 को पेश हो।
30.7.25	पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा फरीकेन उप. समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते पुनः बहस दिनांक 14.10.25 को पेश हो।
14.10.25	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25.11.25 को पेश हो । रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां
25.11.25	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16.12.25 को पेश हो । रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां
16.12.25	पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा फरीकेन उप. नहीं है। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को बीच बार आवाज लगवाई गयी बावजूद इन्तजार के समय में उप. नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।